

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
//आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2014(पार्ट) –छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका, 2007 भाग-1, के सेक्षण-1, के सरल क्रमांक-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है।

2/ उपरोक्त सहमति सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के यू.ओ.क्रमांक 01 दिनांक 02/01/2017 तथा वित्त विभाग द्वारा कॉप्यूटर क्रमांक एफ 2016-07-00695 दिनांक 17/01/2017 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

३५२०११७  
( आरती वासनिक )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2014(पार्ट) नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छोगोशासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
2. सचिव, छोगोशासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
3. पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण पी.जी. बी.टी.कालेज, सिविल लाईन, रायपुर
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़
6. आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ३५२०११७

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग